(ख) एम. ओ. यू. उत्कृष्टता पुरस्कारों संबंधी दिशा–निर्देश

271 1. एम. ओ. यू. उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए दिशा–निर्देश

एम. ओ. यू. संबंधी सी. पी. एस. ई. के उत्कृष्टता पुरसकारों की समीक्षा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार लोक उद्यम चयन बोर्ड (पी. ई. एस. बी.) के अध्यक्ष श्री एन. के. सिन्हा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन दिनांक 11.01.2007 के समसंख्यक आदेश के द्वारा किया गया था।

2. सक्षम प्राधिकारी ने श्री एन. के. सिन्हा समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और निम्नलिखित अनुमोदन दिया :

(i) लेखा परीक्षा किए गए आंकड़ों के आधार पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का एम. ओ. यू. मूल्यांकन वर्ष के दौरान केवल एक बार किया जाएगा। जो सी. पी. एस. ई. 31 अगस्त, तक डी. पी. ई. को लेखा परीक्षा किए आंकड़ों के आधार पर स्व–मूल्यांकन स्कोर प्रस्तुत नहीं करते हैं, वे एम. ओ. यू. उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ii) कार्य बल के संबंधित सिंडीकेट ग्रुप के द्वारा एम. ओ. यू. मिश्रित स्कोर और रेटिंग तैयार तथा अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

(iii) सी. पी. एस. ई. और मंत्रालयों/ विभागों के बीच एम. ओ. यू. पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद लक्ष्यों में किसी प्रकार का संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

(iv) एम. ओ. यू. में वित्तीय और गैर–वित्तीय मापदंडों के लिए प्रत्येक के लिए 50–50 प्रतिशत बराबर महत्व को मौजूदा प्रणाली जारी रहनी चाहिए जो एन. सी. ए. ई. आर. रिपोर्ट पर आधारित है।

(v) एम. ओ. यू. उत्कृष्टता पुरस्कारों की कुल संख्या 12 होगी। सिंडीकेटों से प्रत्येक के लिए 1, सूचीबद्ध सी. पी. एस. ई. से 1, रुग्ण और घाटे वाले उद्यमों के लिए बारी–बारी से 1 पुरस्कार)। उत्कृष्ट निष्पादन करने वाले सभी अन्य सी. पी. एस. ई. को एम. ओ. यू. उत्कृष्टता मैरिट प्रमाण पत्र मिलेंगे।

(vi) एम. ओ. यू. उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए सी. पी. एस. ई. का चयन करने के 3 निम्नलिखित बुनियादी सिद्धांतों को भी स्वीकार किया जाएगा :

(1) वर्ष में सी. पी. एस. ई. का लाभ पहले वर्ष की तुलना में अधिक होना चाहिए।

(2) घाटे वाले उद्यम नहीं होने चाहिए।

(3) सी. पी. एस. ई. का मिश्रित स्कोर 1.5 से अधिक नहीं होना चाहिए।

(vii) चूंकि उत्कृष्ट ग्रेडिंग 1 से 1.5 की रेंज में होती है, इसलिए 1.5 तक मिश्रित स्कोर प्राप्त करने वाले सी. पी. एस. ई. एम. ओ. यू. उत्कृष्टता पुरस्कारों तथा प्रमाणपत्रों के लिए पात्र होंगे।

(viii) ये वर्ष 2006–07 के बाद के एम. ओ. यू. निष्पादन के लिए सी. पी. एस. ई. का मूल्यांकन करने तथा पुरस्कार देने के लिए प्रभावी होंगे।

(ix) प्रशासनिक मंत्रालय उन सी. पी. एस. ई. के बारे में उपयुक्त कार्रवाई कर सकती है जिन्होंने डी. पी. ई. के दिनांक 9 जनवरी, 2007 के का. ज्ञा. सं. 3/16/2006 – डी. पी. ई. (एम. ओ. यू.) के द्वारा पहले दिए गए अनुदेशों के अनुसार 31 मार्च, 2007 तक एम. ओ. यू. पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

(x) वर्ष 2007–08 के बाद की सभी तीनों श्रेयियों में पुरस्कारों के लिए विचारार्थ एक मानदंड के रूप में नैगामिक शासन के अनुपालन को भी शामिल करना चाहिए।

3. प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों से तदनुसार अनुरोध किया जाता है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संबंधित सी. पी. एस. ई. को उपर्युक्त निर्णय से अवगत कराएं।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 3(13)/2006–डीपीई (एम. ओ. यू.), दिनांक 20 अगस्त, 2007)

*****